प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **80/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कुन्दनमल मेघवाल पुत्र हीरालाल मेघवाल पताः खरसाण, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 17.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/80/25/508–09 दिनांक 23.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपख़ण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः आर.टी.आई./2025/492 दिनांक 10.06.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी ने बिन्दु संख्या 1, 2, 3 (आंशिक) एवं 4 (आंशिक) में जो सूचनाएं चाही गई है वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162–ई के निर्माण में अवाप्त भूमि की अधिसूचना 3D के संबंध में है। उक्त सूचना में अवाप्त भूमि के हितधारियों को कितनी राशि का भुगतान हो रहा है यह राशि की गणना प्रपत्र है, जो कि वितिय सूचना के अंतर्गत आता है, उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 खण्ड 1(d) के अंतर्गत प्रकट किये जाने से छुट है, अधिसूचना 3G जारी की जाती है इसका प्रकाशन नहीं होता है यह सूचना स्वयं हितधारियों को अथवा संबंधित विभाग के लिए सुलभ होती है, जबकि अधिसूचना 3A एवं अधिसूचना 3D का प्रकाशन होता है। अधिसूचना 3G की प्रति आम व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने से जिन व्यक्तियों को राशि का भुगतान हो रहा है कि सूचना उपलब्ध करवाने से उन व्यक्तियों के हित प्रभावित होंगे। अपीलार्थी के इस कार्यालय में पूर्व में उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2024 पर इस कार्यालय का प्रत्युतर पत्र क्रमांक RTI/2024/427 दिनांक 11.06.2024 पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर पर निस्तारित अपील फाइल नंबर RIC/UDAI/A/2024/011605 में इस कार्यालय के पत्रांक RTI/2024/999 दिनांक 19.12.2024 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

बिन्दु संख्या 3 (आंशिक) एवं बिन्दु संख्या 5 की सूचना पूर्ण रूप से अपीलार्थी के द्वारा इस कार्यालय मे पूर्व में उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2024 पर इस कार्यालय के प्रत्युतर RTI/2024/428 दिनांक 11.06.2024 पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर पर निस्तारित अपील फाइल नंबर RIC/UDAI/A/2024/011733 में इस कार्यालय के पत्रांक RTI/2024/1000 दिनांक 19.12.2024 के बिन्दु संख्या 1 से 3 में वर्णित है, नियमों के संबंधित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की प्रतियां उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 4 आंशिक में चाही गई सूचना तृतीय पक्षकारों से संबंधित है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 खंड1(j) के अंतर्गत प्रकट किये जाने से छुट है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त करना फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 404 दिनांक 16.05.2025 से विस्तृत प्रत्युतर प्रेषित किया गया था। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 3 (आंशिक), 4 एवं बिन्दु संख्या 5 (आंशिक) की सूचना अधिनियम की धारा 8 खंड1(d) एवं 8 खंड1(j) के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचना है। बिन्दु संख्या 3 व 5 की आंशिक सूचना प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 1000 दिनांक 19.12.2024 से पूर्व में उपलबध करवाई जा चुकी है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रत्युत्तर के विपरित अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर